# न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

**पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम {आर.ए.एस.}**

**राजस्व वाद संख्या : 18/2019**

| प्रार्थी | बनाम अप्रार्थी |
|---|---|
| 1. हरचरण सिंह पुत्र केहर सिंह जटसिख निवासी मलकानाखूर्द तहसील श्रीकरणपुर। | 1.करनैल सिंह पुत्र हाकम सिंह जटसिख निवासी चक 3 एस मलकानाखूर्द तहसील श्रीकरणपुर। |

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**तारीख रजू:-12.07.2019**

**उपस्थितः 1.श्री युधिष्ठर सिंह सैनी अधिवक्ता प्रार्थी**
**2.श्री सुधीर शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1**

**दिनांक :** 30/03/2021

**--निर्णय--**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी जरिए अधिवक्ता श्री युधिष्ठर सिंह सैनी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 3 एस की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 94 के मुरब्बा नम्बर 45 व 60 की कुल 2.276 हैक्टर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि में प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। चक 3 एस की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 8 के मुरब्बा नम्बर 50 की 5.337 हैक्टर भूमि अप्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। चक 3 एस की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 93 के मुरब्बा नम्बर 6 के 0.328 हैक्टर नहरी व मुरब्बा नम्बर 24 की 2.833 हैक्टर व मुरब्बा नम्बर 25 की 0.658 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 51 की 2.302 हैक्टर, व मुरब्बा नम्बर 60/25 की 0.202 हैक्टर कुल 6.323 हैक्टर में से मुरब्बा नम्बर 51 का किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 की कुल 1.151 हैक्टर रकबा प्रार्थी के पुत्र कुलविन्द्र सिंह के नाम प्रार्थी के साथ सयुक्त खाता में दर्ज है। पिछले 30-35 वर्षो से प्रार्थी अपने मुरब्बा नम्बर 45 के रकबा को काश्त करने के लिए आबादी से निकलकर नहर की पटरी पर होते हुए अपने कब्जा काश्त की आराजी मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 21, 20, 11, 10, 1 रकबा में से होते हुए मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 5 के उतरी-पश्चिमी बट के कोने पर बनी पुलिया को पार करके 21 फीट लम्बे व 21 फीट चौडे रास्ते से होते हुए इसी किला के उतरी-पूर्वी बट के कोना पर बनी पुलिया को पार करके अपने मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 25 में प्रवेश करते चले आ रहे है। प्रार्थी द्वारा उक्त रास्तो से ही अपने रकबा को काश्त किया जा रहा है। और उक्त रास्ता का उपयोग व उपभोग प्रार्थी द्वारा अपने रकबा में पानी लगाने के लिए, फसल लाने व ले जाने के लिए, अपने खेत में आने-जाने के लिए व अन्य कृषि कार्यो के लिए किया जा रहा है। प्रार्थी मुरब्बा नम्बर 50 के किला 5 की दोनों सीमा पर बनी दोनों पुलिया व किला नम्बर 5 के उतरी पूर्वी कोने में 21 फीट लम्बे व 21 फीट चौडे रास्ते का आज से 30-35 वर्षो से उपयोग व उपभोग बिना किसी रोक टोक के शांतिपूर्वक करते चले आ रहे है और आज भी उक्त रास्ता का प्रयोग कर रहे है। उक्त रास्ता चालू है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प प्रार्थी के पास नहीं है। प्रार्थी आज से रोज पूर्व पुनः अप्रार्थी से मिले और मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 5 के उतरी पूर्वी कोने में चल रहे 21 फीट लम्बे व 21 फीट चौडे रास्ता को मंजूर करवाने के लिए तथा मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 5 की दोनों सीमा पर बनी दोनों पुलिया को ना तोडने के लिए कहा तो अप्रार्थी ऐसा करने से साफ इन्कार हो गए। प्रार्थी उक्त रास्ता के बदले

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:53:10 IST
Reason: SelfAttested

30/03/21

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

अप्रार्थी को नियमानुसार निर्धारित कीमत देने के लिए तैयार है। उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क आरटीए पेश कर अर्ज है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 3 एस के मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 5 के उतरी पूर्वी कोने में चल रहे 21 फीट लम्बे व 21 फीट चौडे रास्ता को स्वीकृत किया जावे। और उक्त रकबा को राजस्व रिकॉर्ड में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिया जावे, एंव मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 5 की दोनो सीमा पर बनी दोनों पुलियों को अप्रार्थी तोडने से बाज व ममनू रहे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा उपस्थित आए व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार यह कहना गलत है कि पिछले 30-35 वर्षो से प्रार्थी अपने मुरब्बा नम्बर 45 के रकबा को काश्त करने के लिए आबादी से निकलकर नहर की पटरी पर होते हुए अपने कब्जा काश्त की आराजी मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 21, 20, 11, 10, 1 रकबा में से होते हुए मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 5 के उतरी-पश्चिमी बट के कोने पर बनी पुलिया को पार करके 21 फीट लम्बे व 21 फीट चौडे रास्ते से होते हुए इसी किला के उतरी-पूर्वी बट के कोना पर बनी पुलिया को पार करके अपने मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 25 में प्रवेश करते हो। यह कहना भी गलत है कि प्रार्थी मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 5 की दोनों सीमा पर बनी दोनो पुलिया व किला नम्बर 5 के उतरी पूर्वी कोने में 21 फीट लम्बे व 21 फीट चौडे रास्ते का आज से 30-35 वर्षो से उपयोग व उपभोग बिना किसी रूकावट के शांतिपूर्वक करते चला आ रहा हो। सही तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी अप्रार्थी की मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 5 की पूर्वी बट में रास्ता का उपयोग एंव उपभोग नही कर रहा है। प्रार्थी मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16 की पूर्वी दिशा में रास्ता का उपयोग कर अपने कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 17 ता 25 में आना जाना कर रहा है। अतिरिक्त कथन के अनुसार प्रार्थी अपने मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 17 ता 25 में आने जाने के लिए अप्रार्थी के मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 5 के उतरी पूर्वी कोने में किसी भी रास्ता का उपयोग व उपभोग नहीं कर रहा है, और ना ही उपरोक्त रास्ता चालू है। प्रार्थी मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 5 ता 1 व मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 1 ता 5 के उतरी बट के साथ-साथ सरकारी रास्ता का उपयोग व उपभोग कर मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 5 की पूर्वी दिशा में प्रवेश कर मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16 में पूर्वी दिशा की तरफ रास्ता का उपयोग कर अपनी कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 17 ता 25 में प्रवेश करता है। जो 40-45 वर्षो से च[illegible] सिंह ने मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 5 व 6 में 1-1 बिस्वा रास्ता ज[illegible] दानप[illegible] दिनांक 22.06.2015 को अपने भाई गुरचरण सिंह पुत्र केहर सिंह [illegible] हुआ है। तथा इसी मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 15 व 16 में [illegible] रास्ता जरिये दानपत्र प्रार्थी ने अपने भाई बलवीर सिंह पुत्र केहर सिंह से प्राप्त [illegible] हुआ है। दानपत्र में स्पष्ट अंकित किया हुआ है कि उक्त भूमि रास्ता के उपयोग व उपभोग अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए कर रहा है। प्रार्थी व अप्रार्थी की भूमि से रास्ता सुविधा के लिए प्राप्त करना चाहता है। कानूनन सुविधा के लिए किसी भी व्यक्ति को कानूनी रास्ता उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता है। इसलिए प्रार्थी, अप्रार्थी की भूमि से अपनी सुविधा के लिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:53:10 IST
Reason: SelfAttested

30/03/21

रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। रिपोर्ट तहसीलदार श्री करणपुर के क्रमांक 1119 दिनांक 06.12.2019 के द्वारा प्राप्त हुई। जिसके अनुसार प्रार्थी के रकबा को पहुचने हेतु वर्तमान में जो रास्ता चल रहा है वह मंजूरशुदा नहीं है। इस कारण से प्रार्थी मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 5 के नुक्कड से रास्ता मंजूर करवाना चाहता है। प्रार्थी के अप्रार्थी खातेदार की जोत में से होकर पहंचने के वैकल्पिक साधन के रूप में चल रहा अस्थायी रास्ता है जो कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है जो अत्यधिक लम्बा है जबकि मांग नुक्कड में 21 गुणा 21 फीट रास्ता की गई है। राजस्व भू अभिलेख निरीक्षक मलकाना कलां के अनुसार वर्तमान में वादी के रकबा पर पहुंचने हेतु कोई मंजूरशुदा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड अनुसार नहीं है। वर्तमान में प्रार्थी मौके पर चल रहे रास्ता, जो कि मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16 में से होकर किला नम्बर 25 की उतरी पूर्वी सिरे पर बनी पुलिया में से होकर आता है। यह रास्ता मंजूरशुदा नहीं है। यह रास्ता पीछे भी दस बीघा लम्बा रास्ता जो कि 33-44 तथा 34-43 की मुरब्बा बट के बीच में से होकर चल रहा है, द्वारा सरकारी रास्ता से जुडता है। इस प्रकार यह चल रहा समस्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। प्रार्थी द्वारा इस रास्ता जिसका वह वर्तमान में उपयोग कर रहा है कभी भी बन्द होने के डर से तथा वादी कथनानुसार पूर्व में वह मुरब्बा नम्बर 50 के उतरी पूर्वी सिरे पर नुक्कड से 21 गुणा 21 रास्ता जो कि अब बन्द कर दिया गया है, का उपयोग करता था, को स्वीकृत करवाना चाहता है। क्योंकि जो लम्बा रास्ता लगभग 14 बीघा लम्बा है, को स्वीकृत करवाया जाना संभव नहीं है। मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 जो कि उसके पुत्र के नाम से है। वह इसमें से आकर इस नुक्कड से अपने खेत में प्रवेश कर सकता है।

हमने विद्वान अधिवक्तागण, उभयपक्षकारान की बहस सुनकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर, भू-अभिलेख निरीक्षक मलकाना कलां की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदारों के लिए नवीन रास्ता संबधी प्रावधान निम्नानुसार है:- " कृषको के रास्ते के सुखाधिकार का और विस्तार करते हुए धारा 251ए काश्तकारी अधिनियम 1955 में 251ए का समावेश किया गया है, जिसकी उपधारा (1) के (ख) के अनुसार- कोई अभिधारी या अभिधारियों का समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतों तक पहंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता या किसी विद्यमान को विस्तारित या चौडा करना चाहता है तो एक अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगे। उक्त धारा के प्रावधानानुसार संक्षिप्त जॉच पश्चात वैकल्पिक मार्ग नहीं होने की स्थिति में अन्य खातेदार की भूमि में होकर एक नया मार्ग बनाने की मंजूरी विहित रीति से अवधारित किए गए प्रतिकर के संदाय पर [illegible] जा सकेगा।"

प्रार्थी द्वारा अपने द्वारा अपने प्रार्थना पत्र [illegible] के मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 5 के उतरी-पूर्वी कोने में 21 फीट [illegible] फीट चौडे रास्ते को स्वीकृत करवाने हेतु हाजा न्यायालय [illegible] है।

हमने भू अभिलेख निरीक्षक एंव हल्का पटवारी की [illegible] रिपोर्ट एंव फर्द मौका मय नजरी नक्शा का अवलोकन एंव अध्ययन किया। उपर्युक्त के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 5 के उतरी पूर्वी कोने पर 21 फीट लम्बे एंव 21 फीट चौडे रास्ते की मांग की है। हमने प्रकरण का अध्ययन किया कि क्या उक्त रास्ता स्वीकृत कर देने से प्रार्थी की पहुंच निकटतम अभिलिखित



30/03/21
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:53:10 IST
Reason: SelfAttested

रास्ते तक सुनिश्चित होगी या नहीं। फर्द मौका तथा नजरी नक्शे के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि उक्त रास्ता स्वीकृत कर देने से प्रार्थी की पहुंच निकटतम अभिलिखित रास्ते तक पहुंच सुनिश्चित नहीं हो सकती है, साथ ही प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में यह कथन कि मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 प्रार्थी के पुत्र के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 05 के उतरी-पूर्वी दिशा में 21X21 वर्ग फीट रास्ता स्वीकृत करवाकर उसकी पहुंच निकटतम अभिलिखित रास्ते तक पहुंच हो सकेगी। लेकिन प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया, प्रार्थी द्वारा मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 के खातेदार काश्तकार को हस्तगत प्रार्थना पत्र में बतौर पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी, फर्दमौका, नजरी नक्शा एंव रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि निकटतम अभिलिखित सरकारी रास्ते से प्रार्थी द्वारा रास्ते की मांग नहीं की गई है और न ही निकटतम अभिलिखित रास्ते एंव प्रार्थी की आराजी के मध्य आने वाली आराजी के खातेदारों को प्रकरण में बतौर पक्षकार संयोजित किया गया है। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार/खारिज किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

**-:आदेश:-**

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

30/03/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 30/03/2021 ...को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

30/03/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:53:10 IST
Reason: SelfAttested